उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-56/2016/2603/92-1-2016-51(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 19 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री जियाउर्रहमान खां, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त उनके कनिष्ठ के समान दिनांक 01-12-2008 से ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करते हुये ग्रेड वेतन रू0 7600 स्वीकृत किये जाने एवं अन्तर का भुगतान किये जाने हेतु मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के समक्ष निर्देश याचिका सं0-1023/2015 योजित की गयी, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16-11-2015 में यह निर्देशित किया गया कि याची के प्रत्यावेदन दिनांक 10-6-2015 के सम्बन्ध में नियमानुसार निर्णय लेकर सकारण व मुखरित आदेश पारित किया जाय। याची के प्रत्यावेदन दिनांक 10-6-2015 पर विचार करने के उपरान्त यह स्थिति परिलक्षित हुई कि याची श्री जियाउर्रहमान खां की नियुक्ति आदेश दिनांक 10-9-1982 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियंता के पद पर वेतनमान रू0 515-860 में हुई थी, जिसके क्रम में उनके द्वारा दिनांक 05-10-1982 को अवर अभियंता के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। इसके उपरान्त आदेश दिनांक 27-05-2000 द्वारा याची को डिग्री कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियंता के पद पर वेतनमान रू0 8000-13500 में प्रोन्नति प्रदान की गयी तथा उक्त पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 27-05-2005 से उन्हें प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान रू0 10000-13500 (छठें वेतनमान में पुनरीक्षित वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 6600) अनुमन्य कराया गया। इस प्रकार दिनांक 01-12-2008 को याची धारित पद के उच्च वेतनमान में कार्यरत थे।

2- उल्लेखनीय है कि अवर अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची में याची श्री जियाउर्रहमान खां का ज्येष्ठता क्रमांक-819 तथा इनसे कनिष्ठ श्री मोहन वर्मा, अवर अभियंता का ज्येष्ठता क्रमांक-821 है। श्री मोहन वर्मा की नियुक्ति भी आदेश दिनांक 10-9-1982 द्वारा वेतनमान रू0 515-860 में अवर अभियंता के पद पर की गयी थी और श्री वर्मा दिनांक 04-7-2016 को सहायक अभियंता पद पर प्रोन्नत हुये हैं। श्री मोहन वर्मा को अवर अभियंता के पद पर 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में दिनांक 01-12-2008 से ग्रेड पे रू0 7600 स्वीकृत किया गया है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0ओ0 -2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-1(19) में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त यह स्थिति बनी थी कि यदि याची श्री जियाउर्रहमान खां की सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति न हुई होती, तो वह भी कनिष्ठ को स्वीकृत किये गये तृतीय ए0सी0पी0 के अनुरूप 26 वर्ष की सेवा के उपरान्त दिनांक 01-12-2008 से समान वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये अर्ह होते। उक्त के दृष्टिगत याची का प्रत्यावेदन दिनांक 10-6-2015 को शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4985/92-1-2015-110डब्लू/2015, दिनांक 13-01-2016 द्वारा निस्तारित करते हुये यह अभिलिखित किया गया कि याची को उक्त लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-6 में विहित व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अतएव उपरोक्तानुसार श्री जियाउर्रहमान खां को उनके कनिष्ठ श्री मोहन वर्मा के समान दिनांक 01-12-2008 से स्वीकृत तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन ग्रेड पे रू0 7600 अनुमन्य करायेजाने पर विचार हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुक्रम में श्री जियाउर्रहमान खां को उनके सेवा अभिलेखों के आधार पर उनके कनिष्ठ श्री मोहन वर्मा के समान दिनांक 01-12-2008 से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन ग्रेड पे रू0 7600 का लाभ अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-56/2016/2603(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।